राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1564/2011/जयपुर.

मैसर्स बालाजी एन्टरप्राईजेज, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत–डी, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री महावीर चंद जैन, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 04/आरवेट/जेयूडी/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–II, वृत–डी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24, 25, 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी एक पंजीकृत व्यवहारी है। व्यवहारी द्वारा इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक मोटर व अन्य सामग्री का विक्रय किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान पाया कि इलेक्ट्रिक मोटर का विक्रय वैट अधिनियम की कर अनुसूची–IV में उल्लेखित प्रविष्टि संख्या–27 में सम्मिलित मानते हुये उस पर 4% की दर से कर वसूल किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आक्षेप किया गया कि इलेक्ट्रिक मोटर प्रविष्टि संख्या 27 में सम्मिलित योग्य नहीं है क्योंकि इस प्रविष्टि में अंकित वस्तु Capital goods means plant and machinery including parts and accessories thereof है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर सम्मिलित नहीं की जा सकती है अतः इलेक्ट्रिक मोटर पर अनुसूची–V के अन्तर्गत 12.5% की दर से कर आरोपणीय मानते हुये कर

लगातार.....2

एवं अनुवर्ती ब्याज तथा जानबूझकर गलत दर से कर का भुगतान किया जाना मानते हुये अधिनियम की धारा 61 के तहत कर राशि की दुगनी राशि की शास्ति भी आरोपित की गई।

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त विवादित आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपीलाधीन आदेश के जरिये 12.5% की कर दर से आरोपित कर राशि व ब्याज को विधिसम्मत मानते हुये यथावत रखा परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय संव्यवहारों को नियमित लेखा पुस्तकों में एवं विभाग में प्रस्तुत विवरण पत्रों में उचित रुप से घोषित होने के आधार पर किसी भी तरह का छिपाव नहीं मानते हुये अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर उनके द्वारा विक्रय किये गये माल इलेक्ट्रिक मोटर की कर दर 4% होना विधिसम्मत बताकर अपीलीय एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया एवं अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण वित्तीय वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का विक्रय 4 प्रतिशत की कर दर से इस आधार पर किया गया था कि यह केपिटल गुड्स की श्रेणी का माल है एवं वेट अधिनियम की धारा 2(7) में दी गयी परिभाषा अनुसार वह माल जो निर्माण के कार्य में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा उनके पार्ट्स के रूप में काम में आता है वह केपिटल गुड्स कहलायेगा एवं कर अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 27 में सभी तरह के केपिटल गुड्स पर 4 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की हुई थी। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा विक्रय की गई इलेक्ट्रिक मोटर को इस आधार पर केपिटल गुड्स नहीं माना है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत मैसर्स गुलाब आर्ट हैण्डीक्राफ्ट जोधपुर के प्रकरण में दिनांक 19.7.2008 को निर्णय कर इलेक्ट्रिक मोटर पर कर दर 12.5 प्रतिशत होना विनिश्चित किया गया था। चूंकि अपीलीय आदेश धारा 36 के तहत दिये गये निर्णय के

लगातार.....3

अधीन पारित किया गया था एवं उक्त विनिश्चय के विरूद्ध मैसर्स गुलाब आर्ट हैण्डीक्राफ्ट जोधपुर द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील की जाने पर यह निर्णय किया गया कि इलेक्ट्रिक मोटर स्वतंत्र रूप से भी केपिटल गुड्स की श्रेणी में ही सम्मिलित योग्य है तथा इस पर कर दर 4 प्रतिशत से प्रविष्ठि संख्या 27 अनुसार देय होगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण माननीय कर बोर्ड के निर्णय **गुलाब आर्ट हैण्डीक्राफ्ट जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–डी, जोधपुर (2016) 46 टैक्स अपडेट 198** से पूर्णतया कवर्ड होने से और किसी विवेचन के बिना अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलीय आदेश में इलेक्ट्रिक मोटर पर अन्तर कर एवं ब्याज के पुष्टि किये जाने के निर्णय को अपास्त किया जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर इस बिन्दु पर पारित कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश दिनांक 02.05.2011 को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

5/6/17

(के. एल. जैन)
सदस्य

5.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य